राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित अभिभाषक/अधिवक्ता का नाम
1.	3108/2024 दिनेश चन्द धाकड	1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।	14.10.2024	श्री सुधीर गुप्ता, अभिभाषक
2.	3109/2024 घनश्याम धाकड			

आदेश की दिनांक : 15.10.2024

समक्ष :– **शुचि शर्मा, सदस्य**
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

.उपर्युक्त तालिका में वर्णित दोनों अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन दोनों अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3108/2024 दिनेश चन्द धाकड बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

मामलों की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर उक्त दोनों अपीलों पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 18.03.2015 के द्वारा हुई थी और उसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.2015 को कार्यग्रहण किया तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेडीमाता, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाडा में पदस्थापित किया गया। अपीलार्थी की सेवायें हमेशा संतोषजनक रहीं। उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही। अपीलार्थी वर्तमान में करेडा ब्लॉक में पदस्थापित है, जिस समय नियुक्ति हुई थी। उस समय उसका गृह जिला टीएसपी नहीं था और वर्ष 2018 में उसका गृह जिला चित्तौडगढ टीएसपी में आ गया।

अपीलार्थी का मूल निवास स्थान जयसिंहपुरा, मजूवा तहसील बडीसादडी, जिला चित्तौडगढ है जो कि टीएसपी क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार के द्वारा टीएसपी से नॉन टीएसपी में जाने हेतु आवेदन मांगे गये थे, जिसमें कई कार्मिक नॉन टीएसपी में समायोजन किये गये और टीएसपी क्षेत्र में अध्यापक ग्रेड तृतीय के कई पद रिक्त हुये। उनका कथन है कि नॉन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र में जाने के लिये कोई प्रतिबंध नहीं है और अपीलार्थी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मोतीपुरा ब्लॉक छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ एवं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, उंडाबेला, ब्लॉक छोटीसादडी, जिला प्रतापगढ में अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद रिक्त हैं। उनका यह भी कथन है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय सिविल अपील संख्या 1243/2022 में निर्णय में कहा है कि प्रत्येक कार्मिक के स्थानांतरण के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन पर सक्षम अधिकारी उसकी पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये अभ्यावेदन पर विचार कर स्थानांतरण किया जावे। अपीलार्थी ने दिनांक 04.10.2024 को अभ्यावेदन दिया था जो कि विचाराधीन है। अपीलार्थी के माता–पिता वृद्ध हैं, जो बीमार रहते हैं। उनकी देखभाल करने वाला परिवार में अन्य कोई सदस्य नहीं है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करवाया जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति अध्यापक के पद पर आदेश दिनांक 18.03.2015 के द्वारा हुई थी और उसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 19.03.2015 को कार्यग्रहण किया तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, खेडीमाता, पंचायत समिति मांडल, जिला भीलवाडा में पदस्थापित किया गया। परंतु अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति एवं वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के

सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करें और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त तालिका में वर्णित दोनों अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3108/2024 दिनेश चन्द धाकड बनाम अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य अपील संख्या 3109/2024 घनश्याम धाकड में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य